रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 1974/पौष 12, 1895
No. 2] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 1974/PAUSA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section (G & Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 2nd January 1974

S.O. 2(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Haryana for a period of six months with effect from 8th January, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा (II) अनुभाग (जी एण्ड क्यू)]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1974

सा० नि० 2(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा (1) की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती

है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-1-74 से 7-7-74 तक छह मास के लिए हरियाणा से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 3(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Rajasthan for a period of six months with effect from 8th January, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

सा०नि० 3 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-1-74 से 7-7-74 तक छह मास के लिए राजस्थान से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 4(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in West Bengal for a period of six months with effect from 8th January, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

सा०नि० 4(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-1-74 से 7-7-74 तक छह मास के लिए वेस्ट बंगाल से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 5(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Bihar for a period of six months with effect from 17th January, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

सा० नि० 5(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17-1-74 से 17-7-74 तक छह मास के लिए बिहार से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 6(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Delhi for a period of six months with effect from 23rd January, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

सा० नि० 6(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23-1-74 से 22-7-74 तक छह मास के लिए केरल से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69 बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 7(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Kerala for a period of six months with effect from 25th January, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

सा० नि० 7 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 25-1-74 से 24-7-74 तक छह मास के लिए केरला से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी०एस०-II(जी० एण्ड क्यू०)]

S.O. 8(E).—In pursuance of the provisions o fclause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Meghalaya for a period of six months with effect from 31st January, 1974 as active duty.

[No. F.9/28/69-BS.II(G&Q)]

C. G. SOMIAH, Jt. Secy.

सा० नि० 8(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 क 47)की धारा की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 31-1-74 से 30-7-74 तक छह मास के लिए मेघालय से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69 बी० एस० II (जी० एण्ड क्यू)]

सी० जी० सोमिया, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974